झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–07 वर्ष 2021

पंचानन मैती .... याचिकाकर्त्ता(गण)

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी (गण)

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनन्दा सेन**

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्त्ता(गण) के लिए :– श्री विकाश कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– ए0पी0पी0।

02 / 28.01.2021 अधिवक्ताओं ने कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, जिसे आज सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। उन्हें ऑडियो और वीडियो स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

2. पक्षों के अधिवक्ता को सुना।

3. इस याचिका को दायर करके, याचिकाकर्त्ता ने दिनांक 20.01.2020 और 20.10.2020 के आदेशों को रद्द करने के लिए प्रार्थना की है, जिसके द्वारा विद्वान एस0डी0जे0एम0, घाटशिला ने याचिकाकर्त्ता के खिलाफ दं0प्र0सं0 की धारा 82 और 83 के

तहत जी0आर0 संख्या 235/2016 के अनुरूप, धालभूमगढ़ थाना काण्ड संख्या 22/2016 के संबंध में प्रक्रिया जारी की है।

4. सीआर0एम0पी0 सं0 2722/2019 (मो0 रूस्तम आलम उर्फ रूस्तम और अन्य बनाम झारखण्ड राज्य) में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश पारित करने में विवेक का इस्तेमाल नहीं किए हैं। वह आगे कहते हैं कि दं0प्र0सं0 की धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रिया जारी करते समय प्रक्रिया और आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया है और इस प्रकार आक्षेपित आदेश बिल्कुल खराब है।

5. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने आक्षेपित आदेशों में व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज नहीं की है, जो कि दं0प्र0सं0 की धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रियाओं को जारी करने के लिए आवश्यक हैं। बहुत ही यांत्रिक तरीके से और बिना विवेक के इस्तेमाल के साथ–साथ व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज किए बिना दं0प्र0सं0 की धारा 82 और 83 के तहत याचिकाकर्त्ता के खिलाफ प्रक्रिया जारी किया गया है। इस प्रकार का आदेश, जो गैर–बोलने वाला है और विवेक के नहीं उपयोग को दर्शाता है, कानून की नजर में बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय ने सीआर0एम0पी0 सं0 2722/2019 (मो0 रूस्तम आलम उर्फ रूस्तम और अन्य बनाम झारखण्ड राज्य) में विस्तारपूर्वक इस मुद्दे से निपटा है और यह माना कि दं0प्र0सं0 की धारा 82 और 83 के तहत प्रक्रियाओं को जारी करते समय, अदालत को अपने विवेक

का उपयोग करना होगा और प्रक्रिया और आवश्यकताओं को, जिन्हें धाराओं में निर्धारित किया गया है, का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। निचली अदालत ने कोई व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज नहीं की है, जो आक्षेपित आदेशों को कानून के नजर में खराब बनाता है।

6. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, मुझे पता चलता है कि दिनांक 20.01.2020 और 20.10.2020 के आक्षेपित आदेश कानून के प्रावधान के साथ–साथ इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश, इसके द्वारा, अभिखंडित और अपास्त किया जाता है।

7. तद्नुसार, इस याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

8. निचली अदालत को कानून के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(आनन्दा सेन, न्याया0)